क्रम-सं0-47

रजिस्ट्रेशन नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, बुधवार, दिनांक 12 मार्च, 2025
21 फाल्गुन, शक संवत् 1946

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 1278/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2022
लखनऊ, दिनांक 12 मार्च, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

मा0 राज्यपाल महोदया का निम्नलिखित आदेश, दिनांक 12 मार्च, 2025 सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :–

'' 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद-174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, आनंदीबेन पटेल, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा के वर्ष 2025 के प्रथम सत्र का सत्रावसान तात्कालिक प्रभाव से करती हूँ।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।''

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 60 राजपत्र (510)-12-03-2025-585+15 प्रतियां।